

चेक-लिस्ट राष्ट्रीय वृदावस्था पेंशन

1. निर्धारित प्रपत्र है या नहीं
 2. उम्र का प्रमाण पत्र (85 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये)
 3. राशन कार्ड की फोटो प्रति
 4. प्रमाणित 4 पासपोर्ट साईज फोटो
 5. सपथ पत्र -
जिसमें आय, लडके व उनकी आय व चल-अचल सम्पत्ति का विवरण व वर्तमान में जीवनयापन का साधन
 6. जांच रिपोर्ट - नगरपालिका / नगर निगम / तहसीलदार / पंचायत
- राष्ट्रीय वृदावस्था पेंशन योजना हेतु - आवेदन

जिला तहसील

ग्राम/कस्बा/क्षेत्री
 1. आवेदक का नाम 2. स्त्री या पुरुष.....
 3. पिता या पति का नाम 4. जाति

5. आयु/उम्र (आवेदन पत्र देने के दिन आयु)
(आयु प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

6. पूरा पता (अ) वर्तमान पता.....
(ब) स्थाई पता.....

7. पहचान का चिन्ह.....

8. आवेदक की आय मासिक रूपसे.....

9. आय का साधन

10. कृषि भूमि का विवरण

8. परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण -

क्र.सं.	नाम	आयु	व्यवसाय	वार्षिक आय	पेंशन से संबंध
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

हस्ताक्षर/ अंगुठा निशानी

आवेदक

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री शपथपूर्वक

घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि :-

1. मेरी आयु 65 वर्ष या अधिक है।
2. मेरी जीविकापार्जन हेतु कोई नियमित आय का स्रोत / साधन नहीं है/ सीमित है।
3. मेरी वार्षिक आय 1500/- से कम है।
4. मैं (गाँव/ शहर का नाम)..... नगर/पालिका का निवासी हूँ। गत तीन वर्षों से इसी ग्राम/नगर में निवास कर रहा हूँ/ रही हूँ।
5. मैं पूर्व में कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हूँ / रही हूँ।

आवेदन पत्र में वर्णित समस्त तथ्य / सूचना मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है तथा मे इसके लिये उत्तरदायी हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर अंगूठा निशानी

आवेदक

ग्राम पंचायत / नगरपालिका / निगम द्वारा की गई जांच

श्री आवेदक की आयु..... वर्ष के तथा इनके द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु प्रथम बार आवेदन किया गया है।

मैं श्री की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति करने की अभिशंका करता हूँ। आवेदन पेंशन स्वीकृति हेतु उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी..... के प्रेषित है। पेंशन की जांच रिपोर्ट संलग्न है।

दिनांक

हO सरपंच/अधिशायी

अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका/निगम

मय सील

पेंशन स्वीकृति अधिकारी की राय व टिप्पणी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)

कार्यालय पंचायत समिति जिला जयपुर

क्रमांक..... दिनांक.....

सरपंच ग्राम पंचायत..... की अभिरक्षा के अनुसरण में श्री/श्रीमति

..... पुत्र/पत्नी श्री ग्राम ग्राम पंचायत

को रुपये की राशि प्रति पाठ पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विकास अधिकारी

(हो मय सील)

स्वीकृति अधिकारी की टिप्पणी तथा स्वीकृति आदेश (शहरी क्षेत्रों के लिए)

क्रमांक राष्ट्रीय पेंशन/

दिनांक.....

कार्यालय नगर पालिका/निगम..... की अनुज्ञप्ति एवं आवश्यक जांच के

परचात श्री/श्रीमति पुत्र/पत्नी निवासी

को रुपये की राशि प्रतिमाह स्वीकृति की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक.....

सरपंच/नगर पालिका/निगम की जांच रिपोर्ट का विवरण

1. नाम.....
2. पुत्र/ पत्नि का नाम..... जाति.....
3. आयु
4. वर्तमान निवास का पता

5. स्थाई निवास का पता

6. आवेदक (पेशानर) द्वारा / नम्बर में

दर्ज से रह रहा है।

7. सम्पत्ति का विवरण :-

अ. स्वयं की सम्पत्ति चल..... अचल.....

ब. पिता/पति/पत्नी की सम्पत्ति चल..... अचल.....

8. आय का विवरण

अ. स्वयं की आय प्रतिमाह..... आय का स्रोत.....

ब. पिता/पति/पत्नी की आय प्रतिमाह..... आय का स्रोत.....

9. वर्तमान जीवन बीमा का सतधन.....

10. जीवित पुत्रों का विवरण

क्रम सं.	नाम पुत्र	आयु	व्यवसाय	आय प्रतिमाह

11. अन्य विवरण

उक्त आवेदन की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किये जाने के लिए संबंधित की कई मेरी राय में प्रार्थी को पेंशन स्वीकृत किया जाना / अस्वीकृत किया जाना उचित है।

दिनांक

हस्ताक्षर

जांचकर्ता कर्मचारी / निरीक्षक नगर निगम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर ()

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति आवेदन

क्रमांक :- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन /

दिनांक

कोषाधिकारी

जयपुर (प्रामीण)

विषय : राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

श्री / श्रीमति

पुत्र / पत्नी

उम्र

जाति

निवासी

को स्वीकृति जारी होने की तारीख से मृत्यु पर्यन्त या उसके/उसकी दिनांक को आयु बीस वर्ष होने पर (जो भी पहले हो) रूपसे प्रतिमाह राष्ट्रीय वार्धक पेंशन दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

1. पेंशनर की पहचान का चिन्ह निम्न प्रकार है :-

अ.

ब.

2. पेंशनर के पासपोर्ट साइज के फोटो की दो प्रतियां संलग्न की जा रही है।

3. पेंशन का भुगतान उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा पोस्टल मनीआर्डर द्वारा किया जावेगा।

4. चूंकि श्री/श्रीमति निवासी.....
..... ने निराश्रित के भरणपोषण
का जिम्मा लिया है। अतः श्री/श्रीमति को पेंशन का भुगतान तब
तक किया जावे जब तक वह पेंशनर का भरण-पोषण करे।
6. पेंशनर/प्रप्तकर्ता की किसी भी समय पते में हुए परिवर्तन को अविलम्ब सम्बन्धित
उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी को सूचित करना चाहिए।
8. पेंशनर..... रु. की पेंशन/निर्वाह भत्ता (विभाग का नाम लिखा
जावे)..... से प्राप्त कर रहा है/प्राप्त नहीं कर रहा
है।
7. कोषाधिकारी आदेश प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर लेखा का आवंटन कर पेंशन का भुगतान
आदेश जारी करेगा। पेंशन भुगतान आदेश सम्बन्धित उपकोषाधिकारी को भेजा जावेगा और
सूचना पेंशनर को रजिस्टर्ड डाक से भेजी जावेगी।
8. संयुक्त पेंशन रूपये 300/- प्रतिमाह
एकल पेंशन रूपये 200/- प्रतिमाह (दोनों में से एक की मृत्यु होने पर)
9. यह ज्ञात होने पर कि पेंशन की स्वीकृति त्रुटिपूर्ण आधार पर या असत्य सूचना के आधार
पर हुई हो तो यह आदेश रद्द किया जा सकेगा।

मोहर

हO अधिकारी

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. तहसीलदार.....
2. उपकोषाधिकारी.....
3. श्री/श्रीमति/सुश्री.....
पता.....

हO अधिकारी